

राजस्थान सरकार
चिकित्सा स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :प2(3)चिस्वा/2/2016/पार्ट

जयपुर, दिनांक : 01 JUL 2019

—:आदेश:—

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम-24 बी एवं 24 बीबी के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 29.06.2018 की अभिशंषानुसार डॉ. रामगोपाल यादव, वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी), जन्म तिथि 05.02.1964 को समसंख्यक आदेश दिनांक 16.07.2018 द्वारा प्रमुख विशेषज्ञ (सर्जरी) के पद पर दिनांक 01.04.2018 को पदौन्नति प्रदान की गई थी। डॉ. यादव का चयन कॉलेज साईड में होने के उपरांत दिनांक 29.09.2012 से सहायक आचार्य, सीटी सर्जरी के पद पर कार्यरत होने कारण स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 29.06.2018 की अभिशंषाओं को रिव्यू कर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम-24 बी एवं 24 बीबी के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधानों के अनुसरण में डॉ. रामगोपाल यादव, वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी), जन्म तिथि 05.02.1964 को दिनांक 01.04.2018 से प्रमुख विशेषज्ञ (सर्जरी) के पद पर दी गई पदौन्नति एतद्वारा निरस्त की जाती है।

आज्ञा से,

—80
(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. सचिव, राज. लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर/प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.सी.एल., जयपुर।
6. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
7. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/प्रधानाचार्य, आर.एफ.पी.टी.सी।
8. संबंधित अधिकारी/कम्प्यूटर सैल/रक्षित पत्रावली
9. प्रभारी सर्वर रूप, निदेशालय, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईड पर उपलोड करावे।

(ओ. पी. वर्मा)
सहायक शासन सचिव